संख्या एस- 11011/2/2014- एसबीएम- भाग (1)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

चौथा तल, पंडित दीदयाल 'अंत्योदय भवन'
सीजोओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003
दिनांक- 03.01.2018

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव/ सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

विषयः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत आईईसी और क्षमता संवर्धन के व्यय में लचीलापन देने के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

यह स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.2 (उप-पैरा 5.2.11) और पैरा 5.3 (उप-पैरा-5.3.3) में आईईसी और क्षमता संवर्धन के संबंध में उल्लिखित व्यय प्रावधानों के संबंध में हैं। इन प्रावधानों में कहा गया है कि राज्य, 5% आईईसी और क्षमता संवर्धन निधियों में से 4% आईईसी (0.25% राज्य स्तर पर और 3.75% जिला स्तर पर) और 1% क्षमता संवर्धन (0.25% राज्य स्तर और 0.75% जिला स्तर पर) व्यय कर सकते हैं जिससे आईईसी और क्षमता संवर्धन पर कुल व्यय, जिला स्तर पर 4.50% और राज्य स्तर पर 0.50% सीमित हो जाएगा।

2. राज्यों को लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ परामर्श करके मंत्रालय द्वारा आईईसी और क्षमता संवर्धन के उपर्युक्त प्रावधानों का परीक्षण किया गया है ताकि राज्य तथा जिला स्तर पर आईईसी और क्षमता संवर्धन के लिए खर्च की जाने वाली निधि का उपयुक्त रूप से निर्धारण हो सके।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों और जिलों के बीच आईईसी और क्षमता संवर्धन व्यय में लचीलापन दिया जाए जिसका निर्धारण, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यह ध्यान में रखकर किया जाए कि चूंकि स्वच्छता व्यवहारगत मुद्दा है अतः आईईसी और क्षमता संवर्धन गतिविधियों पर बल देने की आवश्यकता है ताकि स्थायी आधार पर कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों से लाभ अर्जित किया जा सके। केन्द्र और राज्य के

बीच निधि की हिस्सेदारी के ढांचे का अनुपात वही रहेगा अर्थात् सभी राज्यों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 के समान ही रहेगा।

4. अतः तत्काल प्रभाव से राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी यह निर्णय कर सकती है कि आईईसी तथा क्षमता संवर्धन गतिविधियों के लिए चिह्नित 5% निधियों में से राज्य तथा जिले कितने अनुपात में निधियां व्यय करेंगे।

5. यह सभी जिलों के संज्ञान में लाया जाए और उपर्युक्त को देखते हुए उपयुक्त प्रावधान बनाए जाएं।

भवदीय,

(अरूण बरोका)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 01124362192
फैक्सः 01124369831
ईमेलः arun.baroka@nic.in

प्रतिः- 1) मिशन निदेशक/ राज्य समन्वयक, एसबीएम (जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
2) तकनीकी निदेशक, वैबसाइट पर अपलोड हेतु।